संख्या- 37/2015/ पी-704 /अड़तीस-9-2015-8(बजट)/2014

प्रेषक,

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक- 24 अगस्त, 2015**

विषय- प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत सम्पर्क मार्गों के अनुरक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि को अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-685/एफ-31(6)/यू0पी0आर0आर0डी0ए0/2015-16, दिनांक-30-06-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत निर्मित मार्गों के अनुरक्षण हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 76,67,00,000.00 (रूपये छिहत्तर करोड सरसठ लाख मात्र) के सापेक्ष शासनादेश संख्या-14/2015/पी-375/अड़तीस-9-2015-8(बजट)/2014, दिनांक-22.04.2015 द्वारा प्रथम छमाही हेतु निर्गत रू0 38,33,50,000.00 (रूपये अड़तीस करोड तैतीस लाख पचास हजार मात्र) के उपरान्त अवशेष धनराशि रू0 38,33,50,000.00 (रूपये अड़तीस करोड तैतीस लाख पचास हजार मात्र) को द्वितीय छमाही हेतु आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1)- निर्मित सम्पर्क मार्गों का हस्तान्तरण निर्माण के 05 वर्ष के उपरान्त लोक निर्माण विभाग को कर दिया जाय।

(2)- स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30-03-2015 द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाय। उक्त स्वीकृति की जा रही धनराशि दो समान किश्तों में आहरित की जायेगी तथा प्रथम किश्त का 75 प्रतिशत उपभोग किये जाने के बाद द्वितीय किश्त का आहरण किया जायेगा।

(3)- उक्त धनराशि का व्यय प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत गठित उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण की नियमावली एवं इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार किया जाय।

-2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4)- धनराशि के आहरण एवं व्यय में वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा व्यय धनराशि से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण-पत्र सम्बन्धित अधिकारी/कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक-"3054-सडके तथा सेतु-आयोजनेत्तर-04-जिला तथा अन्य सडकें-105-रख-रखाव तथा मरम्मत-03-उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण-0301-प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत सडकों का अनुरक्षण-29-अनुरक्षण" के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक अनुभाग-1), वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30-03-2015 द्वारा प्रशासनिक विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

संख्या- 37/2015/पी-704(1)/अड्तीस-9-2015 तद दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 ग्रामीण सडक विकास अभिकरण, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक)/अनुभाग-1
5- ग्राम्य विकास अनुभाग-3
6- गार्डबुक।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।